dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी, चकराता वन प्रभाग, चकराता

पत्रांकः– 3804/ 12-1 चकराता, दिनांक 11 जून 2020

सेवा में,

वन संरक्षक,
यमुना वृत्त, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

विषय– **पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत कथियान से डिरनाड मोटर मार्ग निर्माण हेतु 3.0835 है0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

संदर्भ :– 1– **प्रस्ताव सं0**– FP/UK/ROAD/34380/2018
2–आपका ई0डी0एस0 दि0 04–05–2020।

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित पत्र के कम में विषयगत प्रस्ताव में लगाई गई आपत्तियों का निराकरण आख्या ऑनलाईन निम्नानुसार है –

क्र.सं.	आपत्ति	निराकरण
1.	In reply to point no. 1, CA site suitability certificate still not found uploaded.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा CA site suitability certificate को भाग–। के additional information में upload कर दिया गया है एवं भाग–2 के यथास्थान में अपलोड कर दिया गया है।
2	In reply to point no. 4, justification submitted by the State Govt. seems not satisifactory. State Govt. requested to submit revised proposal upto point no. 22 (as per digital map)	योक्ता एजेन्सी द्वारा Justification सही कर पुनः ऑनलाईन अपलोड कर दिया गया है। चूकिं यह मार्ग पूर्व में निर्मित एल0वी0आर0 में ही बनया जा रहा है जिस पर केवल चौड़ीकरण ही प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जाना प्रस्तावित है जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है। मोटर मार्ग के किमी0 3.03 अर्थात् Geo reference map के बिन्दु सं0–16 तक Reserved forest तथा कुछ भाग में सिविल सोयम भूमि आ रहीं है, तत्पश्चात् शेष भाग में अधिकतर नाप भूमि आ रही है। जिस कारण प्रस्ताव को बिन्दु सं0–40 तक बनाया गया है, चूकिं डिरनाड गॉव की अधिकांश आबादी बिन्दु सं0–30 से 40 के मध्य निवास करती है।
3.	In reply to point no. 5, location of village Dirnad still not marked in the KML file.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा लाभान्वित डिरनाड गॉव की लोकेशन KML file में अंकित कर दिया गया है।
4.	In reply to point no. 6, no correction made by the State Govt. Shape of digital map and KML file of CA area are still not matching.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Shape of digital map and KML file का area मैच करा दिया गया है।
5.	In reply to point no. 7, neither revised CA scheme nor any justification submitted by the State Govt.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड, देहरादून के पत्र सं0–972/3–5–2 दि0 21.11.2017 के अनुसार रू0 2,78,665.00 प्रति है0 की दर से Revised CA scheme तैयार किया गया है तथा Justification of land को प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा पृष्ठ सं0 पर अपलोड कर दिया गया है।
6.	In reply to point no. 9, details of muck dumping area still not added in non forest	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा भाग–। के Muck dumping area has been added in non forest land column at para B-2.3 में

dfo_chakrata_uta@yahoo.co.in
टैली, फैक्स नं0–01360–275078

	land column at para-B-2.3 of part-I.	अपलोड कर दिया गया है।
7.	In reply to point no. 10, it is seen that area of muck dumping sites comes to 0.86 hac instead of 0.597 hac proposed in non forest land.	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा कुल 1.57 है0 non forest land में muck disposal चयन किया गया है जिसमें से केवल 0.597 है0 भूमि को ही muck disposal हेतु प्रस्तावित किया गया है। यदि भविष्य में muck अत्यधिक मात्रा में निकलता है, शेष (1.57–0.597 है0=0.973 है0) में muck disposal किया जायेगा।
8.	In reply to point no.11, still benefits of road mentioned instead of reason for locating the project in forest land in the justification uploaded at para D in part-I.	Justification for locating project in forest land uploaded at para-D (i) of Part-I satisfactory by user agency.
9.	In reply to point no. 11, it is also mentioned in justification that one jeep road is already constructed. State Govt. may clarify, if any approval under FCA has already been obtained for construction of jeep road?	प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा Justification सही कर पुनः upload कर दिया गया है। चूकिं यह मार्ग पूर्व में निर्मित एल0वी0आर0 में ही बनाया जा रहा है जिस पर केवल चैड़ीकरण ही प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, जिस हेतु वन भूमि प्रस्ताव गठित किया गया है।
10.	In reply to point no.12, no correction made by the State Govt.	In para-4(i) of Part-II, Eco class is mentioned as Eco class-V is correct and same uploaded at designate place. NPV calculation is uploaded at at sr no 2 in additional information as Part-II.
	In reply to point no.13, no correction made by the State Govt.	In para-14 of Part-II, CA stipulated is commensurate to forest land diverted and correct information is uploaded at para-14 in district profile as Part-II.

अतः आख्या ऑनलाईन आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक :– उपरोक्तानुसार

भवदीय,

(दीप चन्द्र आर्य)
प्रभागीय वनाधिकारी,
चकराता वन प्रभाग, चकराता